



2026:AHC: 17234

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 44477/2025

पंचम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: विकल्प कुमार राय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
- 3- याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में माँगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या RST/04008/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202415060404008) का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय करने का निर्देश देने के लिए है।
- 4- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-

"(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर संपन्न की जाएगी।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- यह आगे तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रत्यर्थी संख्या 2 को उपरोक्त वाद का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्णय करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी